

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE <i>Extraordinary</i>
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	चैत्र 20, बुधवार, शाके 1935—अप्रैल 10, 2013 <i>Chaitra 20, Wednesday, Saka 1935—April 10, 2013</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 10, 2013

संख्या प. 2 (15) विधि/2/2013.—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 9 अप्रैल, 2013 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) अधिनियम, 2013
(2013 का अधिनियम संख्यांक 14)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 9 अप्रैल, 2013 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में विद्यालयों द्वारा फीस के संग्रहण के विनियमन और इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.**— (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) "शैक्षणिक वर्ष" से, नियमों में इस रूप में विहित बारह मास की कोई कालावधि अभिप्रेत है, और विद्यालयों के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न शैक्षणिक वर्ष विहित किये जा सकेंगे;
- (ख) "सहायता प्राप्त विद्यालय" से, राज्य सरकार द्वारा सहायता के रूप में कोई भी धन राशि प्राप्त कर रहा विद्यालय अभिप्रेत है;
- (ग) "समिति" से, धारा 5 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;
- (घ) "जिला समिति" से, धारा 11 के अधीन गठित जिला समिति अभिप्रेत है;
- (ङ) "फीस" से, किसी भी कक्षा या पाठ्यक्रम में किसी छात्र के प्रवेश के लिए किसी विद्यालय द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संगृहीत कोई भी रकम, चाहे वह किसी भी नाम से हो, अभिप्रेत है;
- (च) "सरकार" से, राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
- (छ) "सरकारी विद्यालय" से, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाया जा रहा कोई विद्यालय अभिप्रेत है;
- (ज) "स्थानीय प्राधिकारी" से, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं.18) के अधीन गठित कोई नगरपालिका या राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं.13) के अधीन गठित कोई पंचायती राज संस्था अभिप्रेत है;
- (झ) किसी विद्यालय के संबंध में, "प्रबंधन" से, राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 (1992 का अधिनियम सं.19) की धारा 9 के अधीन गठित प्रबंध समिति अभिप्रेत है और इसमें ऐसा कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का निकाय, समिति या कोई भी अन्य शासी निकाय, चाहे उसका जो भी नाम हो, जिसमें किसी

विद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध या प्रशासन करने की शक्ति निहित है, सम्मिलित है;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "प्राइवेट विद्यालय" से, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा स्थापित और प्रशासित या चलाया जाने वाला कोई विद्यालय और जो राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 (1992 का अधिनियम सं.19) की धारा 2 के खण्ड (थ) के अर्थान्तर्गत कोई मान्यताप्राप्त संस्था है, अभिप्रेत है, किन्तु इसमें -

(i) कोई सहायता प्राप्त विद्यालय;

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अन्य किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, और प्रशासित या चलाया जाने वाला कोई विद्यालय;

सम्मिलित नहीं है;

(ठ) "नियम" से, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(ड) "विद्यालय" से, 10+2 स्तर तक शिक्षा प्रदान करने वाली विद्या की कोई संस्था अभिप्रेत है;

3. अधिक फीस के संग्रहण का प्रतिषेध.- (1) कोई भी सरकारी विद्यालय या सहायता प्राप्त विद्यालय उस विद्यालय में किसी भी कक्षा या पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए सरकार द्वारा नियत फीस से अधिक फीस संगृहीत नहीं करेगा।

(2) किसी भी प्राइवेट विद्यालय में किसी भी कक्षा या पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए,-

(क) किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो ऐसे प्राइवेट विद्यालय का प्रभारी है, या उस के प्रबंध के लिए उत्तरदायी है; या

(ख) किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, या तो स्वयं के लिए या ऐसे प्राइवेट विद्यालय के निमित्त या ऐसे प्राइवेट विद्यालय के प्रबंधन के निमित्त,

इस अधिनियम के अधीन समिति द्वारा अवधारित फीस से अधिक कोई फीस संगृहीत नहीं की जायेगी।

4. सरकार द्वारा फीस नियत करना.- सरकार, सरकारी विद्यालयों और सहायता प्राप्त विद्यालयों में किसी भी कक्षा या पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए फीस नियत करेगी।

5. समिति का गठन.- (1) राज्य सरकार, प्राइवेट विद्यालयों में किसी भी कक्षा या पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए फीस अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक समिति गठित करेगी।

(2) समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

- (क) सरकार द्वारा नामनिर्देशित, उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश-अध्यक्ष;
- (ख) शासन सचिव, विद्यालय एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान-पदेन सदस्य;
- (ग) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा-पदेन सदस्य;
- (घ) निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा-पदेन सदस्य;
- (ङ) निदेशक, संस्कृत शिक्षा-पदेन सदस्य;
- (च) मुख्य अभियंता (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग-पदेन सदस्य;
- (छ) उप सचिव, विद्यालय शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग-पदेन सदस्य-सचिव;

(3) अध्यक्ष की पदावधि, उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए होगी और इससे पूर्व किसी भी कारण से होने वाली रिक्ति के मामले में, ऐसी रिक्ति शेष पदावधि के लिए भरी जायेगी।

(4) अध्यक्ष, ऐसी दर पर बैठक की फीस और यात्रा भत्ता आहरित करने का पात्र होगा, जो विहित की जाये।

(5) समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही समिति में केवल किसी रिक्ति के होने या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

6. फीस के अवधारण के कारक.- (1) समिति, निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए, किसी प्राइवेट विद्यालय द्वारा उद्ग्रहणीय फीस अवधारित करेगी, अर्थात्:-

- (क) प्राइवेट विद्यालय की अवस्थिति;
- (ख) उपलब्ध अवसंरचना;
- (ग) प्रशासन और रख-रखाव पर व्यय;
- (घ) प्राइवेट विद्यालय की वृद्धि और विकास के लिए अपेक्षित युक्तियुक्त अधिशेष;
- (ङ) कोई भी अन्य कारक जो विहित किये जायें।

(2) समिति, किसी प्राइवेट विद्यालय द्वारा उद्ग्रहणीय फीस अवधारित करने पर, अपना विनिश्चय संबंधित विद्यालय को संसूचित करेगी।

(3) समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई भी प्राइवेट विद्यालय, समिति के विनिश्चय की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर, अपने आक्षेप समिति के समक्ष फाइल करेगा।

(4) समिति, प्राइवेट विद्यालय के आक्षेप पर विचार करेगी और ऐसे आक्षेप की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर आदेश पारित करेगी।

(5) समिति द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा और तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए उस प्राइवेट विद्यालय पर आबद्धकर होगा और तत्पश्चात् वह प्राइवेट विद्यालय पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा।

(6) समिति, वे भिन्न-भिन्न शीर्ष उपदर्शित करेगी जिनके अधीन फीस उद्ग्रहीत की जायेगी।

7. समिति की शक्तियां और कृत्य.- (1) समिति की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे,-

- (क) प्राइवेट विद्यालयों द्वारा संगृहीत की जाने वाली फीस अवधारित करना;

(ख) उसके द्वारा अवधारित या, यथास्थिति, सरकार द्वारा नियत फीस से अधिक फीस संगृहीत किये जाने के बारे में परिवाद सुनना। यदि समिति, संबंधित प्राइवेट विद्यालय या सहायताप्राप्त विद्यालय के प्रबंधन से या सरकारी विद्यालय से साक्ष्य और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उस प्राइवेट विद्यालय या सहायताप्राप्त विद्यालय या उस सरकारी विद्यालय ने समिति द्वारा अवधारित या, यथास्थिति, सरकार द्वारा नियत फीस से अधिक फीस संगृहीत की है तो वह उस प्राइवेट या सहायताप्राप्त विद्यालय की मान्यता रद्द करने के लिए या प्राइवेट विद्यालय या सहायताप्राप्त विद्यालय या सरकारी विद्यालय के संबंध में अन्य ऐसी कोई कार्रवाई करने के लिए, जो वह ठीक समझे, समुचित प्राधिकारी को सिफारिश करेगी।

(2) समिति को,-

(क) प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय से, ऐसी तारीख तक जो समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समस्त सुसंगत दस्तावेजों और लेखा पुस्तकों सहित, ऐसे विद्यालय की प्रस्तावित फीस संरचना को संवीक्षा के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी;

(ख) यह सत्यापित करने की शक्ति होगी कि प्राइवेट विद्यालय द्वारा प्रस्तावित फीस न्यायसंगत है और मुनाफाखोरी या अत्यधिक फीस प्रभारित करने की कोटि में नहीं आती है।

(3) समिति को, उसके स्वयं के कृत्यों के निर्वहन में उदभूत होने वाले समस्त मामलों में अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी, और उसे इस अधिनियम के अधीन कोई भी जांच करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित मामलों के संबंध में, किसी वाद का विचारण करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय

अधिनियम सं.5) के अधीन सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:-

- (क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) किसी भी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;
- (ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य की प्राप्ति;
- (घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

8. लेखाओं का विनियमन.- सरकार, प्राइवेट विद्यालयों द्वारा लेखाओं के संधारण को ऐसी रीति से विनियमित कर सकेगी, जो विहित की जाये।

9. शास्तियां.- (1) जो कोई भी, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा:

परन्तु न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किये जाने वाले किसी पर्याप्त और विशेष कारण से, एक वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन सिद्धदोष व्यक्ति उस छात्र को, जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में अधिक फीस संगृहीत की गयी थी, ऐसी अधिक फीस लौटायेगा।

10. कम्पनियों द्वारा अपराध.- (1) जहां इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध के विरुद्ध कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किये जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का प्रभारी था, और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी भी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या

उसने ऐसे अपराध के किये जाने को निवारित करने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां ऐसा कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिए,-

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसमें कोई न्यास, फर्म, सोसाइटी या व्यष्टियों का अन्य संगम सम्मिलित है, और

(ख) "निदेशक" से,

(i) फर्म के संबंध में फर्म का भागीदार अभिप्रेत है;

(ii) किसी सोसाइटी, न्यास या व्यष्टियों के अन्य संगम के संबंध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको उस सोसाइटी, न्यास या अन्य संगम के नियमों के अधीन सोसाइटी, न्यास या, यथास्थिति, अन्य संगम के कार्यकलापों का प्रबंध न्यस्त किया गया है।

11. जिला समिति.- (1) सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक जिला समिति गठित की जायेगी जो एक अध्यक्ष से, जो शिक्षा विभाग का जिला शिक्षा अधिकारी से अनिम्न रैंक का अधिकारी होगा, और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो विहित किये जायें।

(2) जिला समिति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उक्त समिति का कोई भी सदस्य, किसी प्राइवेट विद्यालय के कार्य के सामान्य घंटों के दौरान किसी भी समय ऐसे प्राइवेट विद्यालय में या उसके किसी परिसर में या ऐसे प्राइवेट विद्यालय के प्रबंधन से संबंधित किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा, यदि उक्त समिति या सदस्य के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम या तदधीन बनाये

गये नियमों के उपबंधों का कोई उल्लंघन है या किया गया है, और जहां तक कोई भी ऐसा अभिलेख, लेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज ऐसे प्राइवेट विद्यालय से संबंधित हैं, ऐसे प्राइवेट विद्यालय या उसके प्रबंधन के किसी अभिलेख, लेखाओं, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज की तलाशी और निरीक्षण कर सकेगा, और यह अभिनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए कि वहां ऐसा कोई उल्लंघन है या किया गया है, ऐसे किसी अभिलेख, लेखाओं, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को अभिगृहीत कर सकेगा।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं.2) के तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, जहां तक हो सके, उप-धारा (2) के अधीन तलाशी और अभिग्रहण पर लागू होंगे।

12. अपराधों का संज्ञान.- कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, सरकार या ऐसे अधिकारी, जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, की मंजूरी के सिवाय नहीं करेगा।

13. अन्य विधियों का प्रवर्तन.- इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे और उसके अल्पीकरण में नहीं होंगे।

14. सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण.- इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या उसके किसी अधिकारी, समिति या उसके सदस्यों, जिला समिति या उसके सदस्यों या इस अधिनियम के द्वारा या अधीन शक्ति का प्रयोग या कृत्यों का पालन करने के लिए सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।

15. कठिनाइयों का निराकरण.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, कोई भी ऐसी कार्रवाई कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

16. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की किसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या उसके ठीक अगले सत्र के अवसान से पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे नियमों में से किसी भी नियम में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, कोई प्रभाव नहीं रखेगा, तथापि, ऐसा कोई उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, April 10, 2013

No. F. 2 (15) Vidhi/2/2013.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Vidhyalaya (Fees Ke Sangrahan Ka Viniyman) Adhiniyam, 2013 (2013 Ka Adhiniyam Sankhyank 14):—

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN SCHOOLS (REGULATION OF
COLLECTION OF FEE) ACT, 2013**

(Act No. 14 of 2013)

[Received the assent of the Governor on the 9th day of April, 2013]

An

Act

to provide for the regulation of collection of fee by schools in the State of Rajasthan and matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called the Rajasthan Schools (Regulation of Collection of Fee) Act, 2013.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) “academic year” means any period of twelve months prescribed as such in the rules and different academic years may be prescribed for different class of schools;
- (b) “aided school” means a school receiving any sum of money as aid from the State Government;

- (c) “committee” means the committee constituted under section 5;
- (d) “District Committee” means the District Committee constituted under section 11;
- (e) “fee” means any amount, by whatever name called, collected, directly or indirectly, by a school for admission of a pupil to any Standard and course of study;
- (f) “Government” means the State Government of Rajasthan;
- (g) “Government school” means a school being run by the Government or any local authority;
- (h) “local authority” means a Municipality constituted under the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009) or a Panchayati Raj Institution constituted under the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994);
- (i) “management”, in relation to a school, means the committee of management constituted under section 9 of the Rajasthan Non-Government Educational Institutions Act, 1989 (Act No. 19 of 1992) and includes any person, body of persons, committee or any other governing body, by whatever name called, in whom the power to manage or administer the affairs of a school is vested;
- (j) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (k) “private school” means a school established and administered or maintained by any person or body of persons and which is a recognized institution within the meaning of clause (q) of section 2 of the Rajasthan Non-Government Educational Institutions Act, 1989 (Act No. 19 of 1992), but does not include-

- (i) an aided school;
- (ii) a school established and administered or maintained by the Central Government or the State Government or any local authority;
- (l) "rule" means the rules made under this Act;
- (m) "school" means an institution of learning imparting education up to 10+2 level.

3. Prohibition of collection of excess fee.- (1) No Government school or aided school shall collect fee in excess of the fee fixed by the Government for admission of pupils to any Standard or course of study in that school.

(2) No fee in excess of the fee determined by the committee under this Act shall be collected for admission of pupils to any Standard or course of study in a private school,-

- (a) by any person who is in charge of, or is responsible for, the management of such private school; or
- (b) by any other person either for himself or on behalf of such private school or on behalf of the management of such private school.

4. Fixation of fee by the Government.- The Government shall fix the fee for admission of the pupils to any Standard or course of study in Government schools and aided schools.

5. Constitution of committee.- (1) *The Government shall constitute a committee for the purpose of determination of the fee for admission to any Standard or course of study in private schools.*

(2) *The committee shall consist of the following members, namely:-*

- (a) *a retired High Court Judge, nominated by the Government - Chairperson;*
- (b) *Secretary, School and Sanskrit Education Department, Government of Rajasthan- Ex-officio member;*
- (c) *Director of Secondary Education - Ex-officio member;*
- (d) *Director of Elementary Education - Ex-officio member;*
- (e) *Director of Sanskrit Education- Ex-officio member;*

(f) *Chief Engineer (Buildings) Public Works Department- Ex-officio member;*

(g) *Deputy Secretary, School Education (Group-5) Department - Ex-officio member-Secretary.*

(3) *The term of office of the Chairperson shall be for a period of three years from the date of his nomination and in the case of vacancy arising earlier, for any reason, such vacancy shall be filled for the remainder of the term.*

(4) *The Chairperson shall be eligible to draw such rate of sitting fee and travelling allowance as may be prescribed.*

(5) *No act or proceeding of the committee shall be invalid by reason only of the existence of any vacancy in, or any defect in, the constitution of the committee.*

6. Factors for determination of fee.- (1) The committee shall determine the fee leviable by a private school taking into account the following factors, namely:-

- (a) the location of the private school;
- (b) the available infrastructure;
- (c) the expenditure on administration and maintenance;
- (d) the reasonable surplus required for the growth and development of the private school;
- (e) any other factors as may be prescribed.

(2) The committee shall, on determining the fee leviable by a private school, communicate its decision to the school concerned.

(3) Any private school aggrieved over the decision of the committee shall file their objection before the committee within thirty days from the date of receipt of the decision of the committee.

(4) The committee shall consider the objection of the private school and pass orders within thirty days from the date of receipt of such objection.

(5) The orders passed by the committee shall be final and binding on the private school for three academic years and thereafter the private school may apply for revision.

(6) The committee shall indicate the different heads under which the fee shall be levied.

7. Powers and functions of the committee.- (1) The powers and functions of the committee shall be,-

- (a) to determine the fee to be collected by private schools;
 - (b) to hear complaints with regard to collection of fee in excess of the fee determined by it or fixed by the Government, as the case may be. If the committee, after obtaining the evidence and explanation from the management of the private school or aided school concerned or from the Government school, comes to the conclusion that the private school or the aided school or the Government school has collected fee in excess of the fee determined by the committee or fixed by the Government, as the case may be, it shall recommend to the appropriate authority for the cancellation of the recognition of the private school or the aided school or for any other course of action as it deems fit in respect of the private school or the aided school or the Government school.
- (2) The committee shall have power to,-
- (a) require each private school to place before the committee the proposed fee structure of such school with all relevant documents and books of accounts for scrutiny within such date as may be specified by the committee;
 - (b) verify whether the fee proposed by the private school is justified and it does not amount to profiteering or charging of exorbitant fee.
- (3) The committee shall have the power to regulate its own procedure in all matters arising out of the discharge of its

functions, and shall for the purpose of making any inquiry under this Act, have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) while trying a suit, in respect of the following matters, namely:-

- (a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;
- (b) the discovery and production of any document;
- (c) the receipt of evidence on affidavits;
- (d) the issuing of any commission for the examination of witness.

8. Regulation of accounts.- The Government may regulate the maintenance of accounts by the private schools in such manner as may be prescribed.

9. Penalties.- (1) Whoever contravenes the provisions of this Act or the rules made thereunder shall, on conviction, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years and with fine which may extend to fifty thousand rupees:

Provided that the court may, for any adequate and special reason to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term less than one year.

(2) The person convicted under this section shall refund to the pupil from whom the excess fee was collected in contravention of the provisions of this Act, such excess fee.

10. Offences by companies.- (1) Where an offence against any of the provisions of this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had

exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any such offence has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purposes of this section,-

- (a) "company" means any body corporate and includes a trust, a firm, a society or other association of individuals, and
- (b) "director" in relation to -
 - (i) a firm, means a partner in the firm;
 - (ii) a society, a trust or other association of individuals, means the person who is entrusted under the rules of the society, trust or other association with the management of the affairs of the society, trust or other association, as the case may be.

11. District Committee.- (1) There shall be constituted by the Government a District Committee in every district, which shall consist of a Chairperson, who shall be an officer of the Education Department not below the rank of a District Education Officer, and such other members as may be prescribed.

(2) The District Committee or any member of the said committee authorized by it in this behalf may, at any time during the normal working hours of any private school, enter such private school or any premises thereof or any premises belonging to the management of such private school, if it or he has reason to believe that there is or has been any contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder and search and inspect any

record, accounts, register or other document belonging to such private school or of the management, in so far as any such record, accounts, register or other document relates to such private school and seize any such record, accounts, register or other document for the purpose of ascertaining whether there is or has been any such contravention.

(3) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973(Central Act No. 2 of 1974) relating to search and seizure shall apply, so far as may be, to search and seizure under subsection (2).

12. Cognizance of offences.- No court shall take cognizance of any offence under this Act except with the sanction of the Government or such officer as the Government may authorize in this behalf.

13. Operation of other laws.- Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

14. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceeding shall be instituted against the Government or any officer thereof, the committee or its members, the District Committee or its members or any other authority or person empowered to exercise the power or perform the functions by or under this Act for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

15. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by an order published in the Official Gazette, do anything, not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is so made, before the House of the State Legislature.

16. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this section shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.